सं0सं0–1/विविध–14/2015– 1379(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 6/12/2018

विषयः– **बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए "स्वास्थ्य भवन" के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10,33,12,000/– (रुपये दस करोड़ तैंतीस लाख बारह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना के scope of work एवं सामग्रियों की दर में वृद्धि के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 58,33,00,000/– (रुपये अन्ठावन करोड़ तैंतीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–498(1), दिनांक–28.04.2015 द्वारा वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए "स्वास्थ्य भवन" के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10,33,12,000/– (रुपये दस करोड़ तैंतीस लाख बारह हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2– योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को विभागीय आवंटनादेश सं0–24(1)ब0, दिनांक–08.06.2015, सह–पठित शुद्धि–पत्र सं0–1067(1), दिनांक–18.09.2015 द्वारा योजना की कुल राशि रु0 10,33,12,000/– (रुपये दस करोड़ तैंतीस लाख बारह हजार) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। कतिपय कारणों से, विशेषकर भूमि की अनुपलब्धता के कारण, योजना के कार्यान्वयन में अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

3– कालान्तर में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अवयवों/कार्यालयों के लिए उपलब्ध कार्यालय space की समीक्षा के क्रम में यह प्रकाश में आया कि स्वास्थ्य विभाग, जो वर्तमान में विकास भवन में अवस्थित है, के विभिन्न अवयवों में पूर्व की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। नये अवयवों में राज्य आयुष समिति, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान भारत समिति, महानिदेशक के अंतर्गत आयुष निदेशालय (जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी निदेशालय शामिल है) का पुनर्गठन, राज्य औषधीय पादप बोर्ड एवं प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय शामिल है।

4– उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना, जिसका scope of work काफी विस्तृत है, का भी अपना भवन नहीं है। इसी प्रकार स्वास्थ्य निदेशालय एवं बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल परीक्षा समिति के लिए भी proper space का अभाव है। कार्यहित में यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभागीय ये सभी कार्यालय एक परिसर में अवस्थित रहे, ताकि कार्य की गतिशीलता बनी रहे।

क्रमशः

5– प्रस्तावित स्वास्थ्य भवन के लिए इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गई है।

6– उक्त समीक्षा के उपरान्त विषयांकित योजनान्तर्गत बनने वाले भवन में स्थान (space) एवं सुविधाओं की अधिक आवश्यकता महसूस किये जाने के कारण इसके scope of work में वृद्धि करते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा रु0 58,33,00,000/– (रुपये अन्ठावन करोड़ तैतीस लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

7– अतः बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए "स्वास्थ्य भवन" के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10,33,12,000/– (रुपये दस करोड़ तैतीस लाख बारह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना के scope of work एवं सामग्रियों की दर में वृद्धि के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 58,33,00,000/– (रुपये अन्ठावन करोड़ तैतीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.2008 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– पूर्व स्वीकृत योजना में कुल 4321 वर्गमीटर निर्माण के विरुद्ध अब 12425 वर्गमीटर का निर्माण निम्नरुपेण प्रस्तावित है–

Sl.No.	Floor	Built up area	Facility
1	Ground floor	850 Sqm.	Lift lobby, parking, entrance lobby
2	First floor	850 Sqm.	Green Terrace, store room
3	Second floor	850 Sqm.	Auditorium, canteen, library and project wing of BMSICL
4	Third floor	2145 Sqm.	BMSICL office
5	Fourth floor	2145 Sqm.	Health department Directorate
6	Fifth floor	2145 Sqm.	Proposed Medical Education Unit for Health Department
7	Sixth floor	2145 Sqm.	Ayush Mission/Ayushman Bharat Society
	Total-	**12425 Sqm.**	

10– इस स्कीम (योजना) के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

11– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

12– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं0–498(1), दिनांक–28.04.2015 में अंकित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

13– प्रस्तावित निवेश की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक–04.12.2018 की बैठक में मद संख्या–21 पर प्राप्त है।

14– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–14/2015 के पृष्ठ–...23.../टि0 पर प्राप्त है।

क्रमशः

15– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–14/2015–1379(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 6 /12/ 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव